# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 11/76 | 01–10–2019 | 10–11–2020 |

1. सुशीला पुत्री मंगतु राम स्त्री अजीत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम विजयसिंह पुरा तहसील बहरोड जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. संजय पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी सिरहोड खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाज निवासी मौहल्ला नैनसुख बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर।
2. तहसीलदार बहरोड जिला अलवर।

रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बहरोड, के दिनांक 26–10–2007 बावत इन्तकाल सं0 942 वाके ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख तहसील बहरोड जिला अलवर।

उपस्थितः–

01 श्री गोविन्द राम यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री विनोद कुमार यादव –वकील रेस्पो0

## ––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 26.10.07 जिसके जिसके द्वारा इन्तकाल सं0 942 वाके ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख तहसील बहरोड जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस/लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि तहत न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी माह जून 2016 को अभियान के अन्दर अपील के बारे में कहा गया, दिनांक 26.10.07 से 01.07.2016 तक जानकारी के अभाव में तथा दिनांक 1.7.16 से दिनांक 31.8.16 तक का समय कानूनी सलाह लेकर आज विला देरी अन्दर अवधि पेश है। जो समय व्यतीत हुआ है वह काबिले कन्डोन है जिस हेतु आवेदन पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश है। अपीलीय इंतकाल अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तथा अपीलान्ट को विना सुने तस्दीक किया है जबकि अपीलान्ट मंगतुराम (मृतक) की पुत्री है। इंतकाल फैसल करते वक्त अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक था किन्तु तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुना नही गया। अपीलीय इंतकाल की वसीयत दिनांक 24.12.97 पुस्तक संख्या 111 जिल्द संख्या 11 क्रम संख्या 7 पृष्ठ संख्या 169 के आधार पर चढाया गया है जो वसीयत मंगतु राम पुत्र ओमकार ने नही लिखी है वसीय लिखने वाला व्यक्ति गांगेलाल उर्फ मागेराम है के द्वारा लिखी गई है जिस का अवलोकन तहत अदालत के पिठासीन अधिकारी ने नहीं किया तथा बेजातौर पर

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर दिया। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का हिस्सा By Birth है तथा मंगतूराम को इस आराजी की वसीयत करने का भी कोई अधिकार नही है क्यों कि अपीलान्ट मंगतूराम की पुत्री है। रैस्पा0 संख्या 1 जो कि मंगतूराम की दूसरी पुत्री कमला का पुत्र है जिसने अपनी माता के साथ मिलकर फर्जी तरीके से यह बनावटी वसीयत कराई जिसके निरस्त कराने का एक वाद अपीलान्ट ने सिविल न्यायाधीश (क0ख0) की अदालत में कर रखा है, जिस वाद में स्थनग आदेश भी जारी है। अपीलान्ट ने मंगतूराम की आराजी रैस्पा0 संख्या 1 ने अपने नाम कराने का एक वाद उप खण्ड अधिकारी बहरोड की न्यायालय में कर रखा है। तहत अदालत ने इंतकाल को दर्ज व स्वीकार करते वक्त कब्जें के बारे में कोई जांच नही की गई। अपीलीय इंतकाल में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 2010.07 में पटवारी हल्का ने लिखा है कि जमाबन्दी एवं वसीयतनामा से जांच की अंकन सही है जबकि जमाबन्दी में मगतूराम पुत्र ओमकार अहीर सा0 देह खातेदार के नाम से है तथा वसीयत जो प्रस्तुत की थी उसमें मांगेलाल उर्फ मांगेरा है जो कि दोनों ही नाम अलग है जिस पर भी तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। प्रकरण में गोदनामा व वसीयतनामा की एक्जूक्यूशन डाउटफूल है दोनो फर्जी जारी दस्तावेज है वसीयतनामा लिखा गया तब गवाह कोई और है वसीयतनामा तस्दीक के दौरान गवाह कोई ओर है। जालसाजी व फर्जीवाडा बेखौफ होकर किया गया है। इस प्रकार फर्जी दस्तावेज अपीलान्ट के अधिकारों पर नामाबिले पाबन्दी है शून्य है। समस्त कार्यवाही एकतरफा में बगैर सुनवाई का समुचित अवसर दिए ही की गई है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें। अपीलान्ट कें अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :—

आर0आर0टी0 2002 (1) पेंज 648, आर0आर0टी0 2002 (1) पेंज 286, आर0आर0टी0 2009 (1) पेंज 467, आर0आर0टी0 2004 (1) पेंज 374, आर0आर0टी0 2003 (1) 529, आर0आर0टी0 2009 (2) पेंज 988, आर0आर0टी0 2013 (2) पेंज 766, आर0आर0टी0 2015 (2) पेंज 1434, आर0आर0टी0 2016 (1) पेंज 371, आर0आर0टी0 2016 (1) पेंज 307, आर0आर0टी0 2008 (1) पेंज 1406, डब्लू0एल0सी0 2012 (5) पेंज 305, डब्लू0एल0सी0 2009 (4) पेंज 313.

विद्वान वकील रैस्पा0 ने अपनी बहस/लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को विवादित इंतकाल की जानकारी शुरू से ही थी अपील पेश करने का समय जानकारी की दिनांक से 1 माह होता है। अपीलान्ट ने वसीयत के बावत उप खण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष 2007 से व न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सं0 1 बहरोड में वसीयत कैन्सीलेशन का वाद सन् 2007 से वाद किया हुआ है। जिन वादों में अपीलान्ट द्वारा जो राजस्व रैकार्ड पेश किया गया उनमें अपीलीय इंतकाल का नोट अंकित है ऐसी स्थिति में अपील करीब 9—10 वर्ष बाद पेश करने का

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कोई संतोषप्रद कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। कानूनन जानकारी से एक–एक दिन की देरी का कारण बताया जाना आवश्यक होता है उस कारण से संतुष्ठ होने पर ही न्यायालय देरी को क्षमा कर सकते है केवल दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र लगाने से देरी को क्षमा नहीं हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल ने डिले को कन्डोन करने के लिए कानूनी विनिश्चयों में यह हैल्ड किया गया है कि देरी का संतोषप्रद कारण होने पर ही न्यायालय द्वारा देरी को कन्डोन किया जाना चाहिए।

रेस्पाडेण्ट्स कें अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया :–

डी0एन0जे0 2009 (1) आर0ए0जे0 215, डी0एन0जे0 2010 (1) आर0ए0जे0 400 डी0बी0, आर0बी0जे0 2007 पेंज 438, आर0बी0जे0 2010 पेंज 289, आर0आर0टी0 2016 पार्ट 2 पेंज 1098, आर0आर0डी0 2010 पेंज 765, डी0एन0जे0 2015 पेंज 246, आर0आर0डी0 पेंज 14, 2013 (4) डब्लू0एल0एन0 आर0ए0जे0 43 डी0बी0,

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 26.10.2007 जिससे अपीलीय इंतकाल संख्या 942 वाके ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख दर्ज व स्वीकार किया के विरूद्व दिनांक 14.9.2016 को पेश की एवं विलम्ब को कण्डोन करने के लिए प्रार्थना पत्र दफा–5 पेश कर जानकारी की जून 2016 को अभियान के अन्दर अपील के बारे में कहा गया, दिनांक 26.10.07 से 01.07.2016 तक जानकारी के अभाव में तथा दिनांक 1.7.16 से दिनांक 31.8.16 तक का समय कानूनी सलाह लेकर आज बिला देरी अन्दर अवधि पेश है। विलम्ब को कण्डोन करने का अपीलान्ट ने कोई वैधानिक तथ्य अंकित नहीं किया है। अपीलान्ट को वसीयत के द्वारा इंतकाल दर्ज करने की जानकारी सन् 2007 में ही हो गई थी, और अपीलान्ट द्वारा समक्ष न्यायालय में वाद पेश कर दिये थे। रेस्पौ0 की हम इस दलील से सहमत है कि विलम्ब का कारण दिन प्रतिदिन के हिसाब से बताना चाहिए, परन्तु अपीलान्ट ने विलम्ब का ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया जिस पर विश्वास किया जा सके। बिना वैधानिक कारण के अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। यदि हम मूल अपील का भी अवलोकन करें तो भी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा इंतकाल व वसीयत के बाबत उप खण्ड अधिकारी बहरो एवं न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 1 बहरोड में वसीयत कैन्सीलेश का वाद किये हुवें। इंतकाल की कार्यवाही फिसीकल प्रोसेडिंग है, इस में किसी के अधिकार तय नही होते अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही होता है। जो पक्षकारान में मध्य चल रहा है जिसमें अधिकार तय होने है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार बहरोड का निर्णय दिनांक 26–1–2007 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)